

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:- 01/2025

NCMS सं.- 2025/389

-:: आदेश ::-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जेठन्तरी व भू.अ.नि समदडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार समदडी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, ग्राम पंचायत जेठन्तरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार समदडी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार समदडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जेठन्तरी हॉल्ट	298, 316, 310, 313, 314 व 315	लच्छीया पुत्र रूपा	गीगाराम उर्फ लच्छीया पुत्र रूपाराम उर्फ रूपा

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

कमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/2288  
प्रतिलिपि -

दिनांक:- 17.09.2025

1. तहसीलदार समदडी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी गीगाराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी जेठन्तरी हॉल्ट तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

